तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुन्तकिली / टी.ए. / 1315 / 2025 / डीग **जीतराम बनाम देवीसिंह, उपखण्ड अधिकारी, डीग**	

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित –
श्री लक्ष्मण कंवरिया, अभिभाषक प्रार्थी।
श्री शान्ति प्रकाश औझा, अभिभाषक, अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः– 13.05.2025

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 233 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 84/2024 बउनवानी बुद्धीवती बनाम कम्पो को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अन्तरित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अप्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिये हैं कि पीठासीन अधिकारी वादीयागण/असल अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 के पक्ष में प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष ही आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर रखा है जो पीठासीन अधिकारी के समक्ष लम्बित है। अभी प्रकरण में यह निर्णय होना बाकी है कि वाद आगे चल सकेगा या नहीं। इसके बावजूद भी असल अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 द्वारा प्रार्थी को खुले न्यायालय में यह धमकी दी गई कि प्रार्थना पत्र के साथ साथ ही प्रकरण का निर्णय हम हमारे ही पक्ष करा लेगें। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वादीयागण/असल अप्रार्थीगण ने स्पष्ट कह दिया है कि निर्णय तो हमारे पक्ष में ही होगा क्योंकि विद्वान पीठासीन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मुन्तकिली / टी.ए. / 1315 / 2025 / डीग** **जीतराम बनाम देवीसिंह, उपखण्ड अधिकारी, डीग**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारी से प्रकरण को हमारे पक्ष में निर्णित करने हेतु बात हो गई है। पीठासीन अधिकारी पर हमने राजनैतिक दबाव बना दिया है जिससे प्रार्थी को आभास ही नहीं पूर्ण विश्वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निर्णय वादीयागण/असल अप्रार्थीगण के पक्ष में ही करेंगे। इसलिए प्रार्थी को उनके न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि न्याय किया जाना स्पष्ट प्रतीत होना भी आवश्यक है। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डीग के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सं0 84/2024 को जिले से बाहर अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। 4– जवाब बहस में अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में मनगढ़न्त, बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष सीधे ही मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उन्होंने इसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में विचाराधीन वाद की प्रमाणित आदेशिका की प्रति प्रस्तुत की है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अनावश्यक रूप से प्रकरण में देरी हेतु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। 5– हमने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन व परिशीलन किया। 6– प्रस्तुत प्रकरण में वादीयागण/असल अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित कराने हेतु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और प्रकरण को जिले से बाहर अन्तरित किये जाने का कोई कारण अंकित नहीं करते हुए केवल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मुन्तकिली / टी.ए. / 1315 / 2025 / डीग** **जीतराम बनाम देवीसिंह, उपखण्ड अधिकारी, डीग**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंतिम पैरा में अनुतोष चाहा गया है। प्रावधित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को जिले के किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित कराने हेतु जिला कलक्टर के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी जिला कलक्टर के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है। 7– अभिभाषक अप्रार्थी ने विचारण न्यायालय में की जा रही कार्यवाही को विलंबित करने एवं अप्रार्थी को परेशान अनावश्यक करने के उद्देश्य से उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिले में किसी भी न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 233 के तहत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में लंबित वाद को मुन्तकिल करवाये जाने हेतु जिला कलक्टर न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में कोई ऐसा कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। जिससे प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जावे। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि **''फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा होता है। इस प्रकार प्रकरण को मुन्तकिल किये जाने से पीठासीन अधिकारी के मनोबल व विश्वसनीयता में भी बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना ठोस आधारों के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र स्वीकार करके न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह भी देखा जाना चाहिए कि न्यायिक प्रावधानों का abuse of the process of law नहीं हो।''** ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना गुणावगुण पर न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर संधारण योग्य नहीं होने से न्यायहित में खारिज किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मुन्तकिली / टी.ए. / 1315 / 2025 / डीग** **जीतराम बनाम देवीसिंह, उपखण्ड अधिकारी, डीग**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8– अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से **खारिज** किया जाता है। 9– निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। 10– पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	